

कार्यालय जिला परिषद्, जमुई।

आम बन्दोवस्ती सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जिला परिषद्, जमुई के अधीन निम्नलिखित बस पड़ावों/ठहरावों में ठहरने वाले वाहनों से ठहराव शुल्क वसूली हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के नौ माह (01.07.2019 से 31.03.2020 तक) अभिकर्ता की नियुक्ति खुले डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ (डी0आर0डी0ए0) जमुई में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

क्र0	बस पड़ाव/ठहराव का नाम	सुरक्षित राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि	समय
1	महिसोड़ी चौक जमुई।	8,43,000.00	84,300.00	20-06-2019	12 बजे पूर्वा० से
2	विशनपुर, खैरा	1,53,750.00	15,375.00		
3	चकाई।	2,95,500.00	29,550.00		
4	सिकन्दरा।	32,77,107.00	3,27,711.00		

डाक का नियम एवं शर्तें निम्नलिखित होगी :-

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को डाक निर्धारित तिथि के पूर्व जिलाधिकारी/आरक्षी अधिक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र/आधार कार्ड जमा करना होगा तभी वे डाक में भाग ले सकते हैं।
2. डाक बोलने वाले व्यक्तियों को डाक में भाग लेने के लिए डाक के पूर्व सुरक्षित राशि का (10%) दस प्रतिशत जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बना हुआ नजारत शाखा में जमा करना होगा।
3. सफल डाक बोलने वाले व्यक्तियों को डाक समाप्ति के पश्चात् डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त बैंक ड्राफ्ट के द्वारा डाक समाप्ति के पश्चात् तीन दिनों के अंदर नजारत शाखा में जमा करनी होगी। तथा डाक राशि का (3%) तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क के रूप में स्टाम्प पेपर भी नजारत शाखा में जमा करनी होगी। तभी वाहनों से शुल्क वसूली का परवाना उनको निर्गत किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गई राशि जमानत की राशि सहित जब्त हो जाएगी।
4. प्रथम एवं द्वितीय डाकधारी को छोड़ कर अन्य सभी डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी।
5. जिला परिषद्, जमुई की स्वीकृति के पश्चात् वंदोवस्तदार को औपबंधिक परवाना प्राप्त होने के पश्चात् जिला परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क वसुलेंगे।
6. द्वितीय उच्चतम डाकधारी को जमानत की राशि एक सप्ताह बाद वापस की जायेगी, चूँकि उच्चतम डाकधारी डाक की सम्पूर्ण राशि डाक समाप्ति के पश्चात् निर्धारित समय तक जमा नहीं होने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम डाकधारी के साथ वंदोवस्ती का निर्णय लिया जा सकेगा।
7. सफल डाकधारी की जमानत की राशि डाक की सम्पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात् ही वापस होगा।
8. वंदोवस्तदी लेनेवाले को एक सप्ताह के अंदर जिला परिषद्, जमुई के साथ नियम एवं शर्तों का एकरारनामा करना होगा तथा उक्त एकरारनामा का पूर्ण खर्च वंदोवस्तदार को वहन करना होगा।
9. वंदोवस्तदार द्वारा बस ठहराव के एरिया निर्धारित स्थल के बाहर से गुजरने अर्थात् शादी/विवाह/तीर्थ यात्रा एवं भ्रमण करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली नहीं किया जा सकता है अगर ऐसा करते हैं तो वंदोवस्तदार को प्रथमवार में मो0 5000/- (पांच हजार) रु0 का आर्थिक दंड देने के लिए अधोहस्ताक्षरी सक्षम होंगे। तत्पश्चात् पुनः ऐसा दृष्टांत पाये जाने पर वंदोवस्ती का एकरारनामा रद्द करने का कार्रवाई की जायेगी।
10. वंदोवस्तदार को बस पड़ाव/ठहराव पर शांति व्यवस्था स्वयं करना होगा, यदि भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया तो वंदोवस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
11. वंदोवस्तदार को शुल्क वसूली का रसीद देना अनिवार्य होगा। शुल्क वसूली हेतु अच्छे आचरण वाले स्टाफ को रखना होगा जिसका खर्च उसे स्वयं वहन करना होगा। यदि भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया तो वंदोवस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। सभी कर्मों को फोटो युक्त पहचान पत्र देगें एवं उसकी सूची जिला परिषद् कार्यालय में जमा करेगें यदि कतिपय कारण से उसके परिवर्तन होता है तो तुरंत इससे संसुचित करेगें। कर्मों की एक सूची थाना में भी सौपेगें।

12. यदि प्रमाणित हो जाता है कि बंदोवस्तदार अपराधिक मुकदमा में सजावार मुजरीम रह चुके हैं या ऐसा उनके उपर अपराध के लिये सक्षम न्यायालय में संज्ञान लिया हो तो अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा की बंदोवस्तदार के साथ की गई बंदोवस्ती का एकरारनामा एक पक्षीय रूप से रद्द की जायेगी और जमा राशि को जब्त कर ली जायेगी।
13. अधोहस्ताक्षरी को एक या सभी बंदोवस्ती को विना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी तरह का पूरा निर्णय लेने के लिये सक्षम होंगे।
14. बंदोवस्तदार को बस पड़ाव के अहातों में स्थित, होटल एवं दुकानों की व्यवस्था एवं उनसे किराया लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार जिला परिषद् को होगा।
15. जिन व्यक्तियों पर जिला परिषद् जमुई का किसी भी प्रकार का बकाया है तथा पूर्व में डाक की राशि समय पर जमा नहीं किये हो तो वे डाक में भाग नहीं ले सकते हैं।
16. बस ठहराव में सफाई एवं वाहन परिचालन की व्यवस्था बंदोवस्तदार द्वारा किया जायेगा। बंदोवस्तदार द्वारा निर्धारित किराया एवं शुल्क वसूली का सूचनापट्ट वस पड़ाव के मुख्य स्थान पर लगाना होगा।
17. बंदोवस्तधारी द्वारा किसी प्रकार का अन्य कोई होल्डिंग नहीं लेंगे।
18. बस ठहराव/पड़ाव पर ठहरने वाले वाहनों का निर्धारित शुल्क निम्नलिखित है :-

क्रमांक	वाहनों का नाम	शुल्क प्रतिदिन
1	कोच, बस एवं स्टार बस	30/- (तीस) रूपया
2	मैक्सी/टाटा	25/- (पचीस) रूपया
3	जीप/टेकर/जोंगा/कार/मैजिक	20/- (बीस) रूपया
4	टेम्पू	15/- (पन्द्रह) रूपय

उपरोक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश डाक नहीं होने पर डाक की अगली तिथि दिनांक- 22.06.2019 को 12:00 बजे पूर्वा0 में होगी। पुनः इस तिथि में डाक नहीं होने पर दिनांक- 24.06.2019 को पूर्वा 12:00 बजे पूर्वा0 बजे डाक की कार्रवाई की जाएगी। विशेष जानकारी के लिये जिला परिषद् कार्यालय, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ए०/

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, जमुई।

ज्ञापांक.....339...../जि0प0, दिनांक...04-6-2019.../ जमुई, जमुई को
प्रतिलिपि:- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद्, जमुई, एवं स्थानीय सदस्य/ जिला परिषद्, जमुई को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, जमुई।

कार्यालय जिला परिषद, जमुई।

आम बन्दोवस्ती सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है, कि जिला परिषद, जमुई के अधीन फलकर एवं खेती योग्य जमीन की बंदोवस्ती वित्तीय वर्ष 2019-2020 के नौ माह (01.07.2019 से 31.03.2020 तक) के लिए दिनांक-20.06.2019 को 12:00 बजे पूर्वा में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष (डी0आर0डी0ए0 भवन) जमुई में किया जायेगा। डाक बोलने वाले व्यक्तियों को डाक निर्धारित तिथि के पूर्व मो0-500.00 (पाँच सौ) रू0 जमानत स्वरूप नजारत शाखा में नगद जमा करना होगा। तभी वे डाक में भाग ले सकते हैं। डाक समाप्ति के पश्चात् सफल व्यक्तियों को डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुस्त जमा करना होगा, तथा बन्दोवस्ती का तीन (3%) प्रतिशत मुद्रांक शुल्क के रूप स्टांप पेपर भी जिला परिषद, नजारत शाखा जमुई में जमा करना होगा। सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करने पर डाकधारी द्वारा जमा की गई राशि के साथ जमानत की राशि सहित जब्त कर ली जायेगी। शेष व्यक्तियों को जमानत की राशि डाक समाप्ति के पश्चात् वापस किया जायेगा। फलकर की सूची एवं जमानत की सुरक्षित राशि से कम राशि पर बन्दोवस्ती स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी डाक अथवा सभी डाक को रद्द करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश डाक नहीं होने पर डाक की अगली तिथि दिनांक- 22.06.2019 को 12:00 बजे पूर्वा में होगी। पुनः इस तिथि में डाक नहीं होने पर दिनांक- 24.06.2019 को पूर्वा 12:00 बजे डाक की कार्रवाई की जाएगी। विशेष जानकारी के लिये जिला परिषद, कार्यालय, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

६०/

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जमुई।

ज्ञापांक.....340...../जि0प0, दिनांक.04-6-2019...../


प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, जिला परिषद, जमुई/संबंधित पदाधिकारी एवं सदस्य जिला परिषद, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जमुई।

कार्यालय जिला परिषद, जमुई।

जिला परिषद, जमुई के अधीन फलकर एवं खेती योग्य जमीन की बन्दोवस्ती वर्ष 2019-2020 के लिए सुरक्षित एवं जमानत राशि :-

क्र०	फलकर एवं खेती योग्य जमीन का नाम	वर्ष 2019-2020 के शेष अवधि हेतु सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण	वर्ष 2019-2020 के शेष अवधि हेतु सुरक्षित जमानत की राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	निरीक्षण गृह, विशनपुर	2400.00	500.00	
2	निरीक्षण गृह, टिहिया	5287.00	500.00	
3	निरीक्षण गृह, मंझवे	450.00	500.00	
4	निरीक्षण गृह, झाझा	1000.00	500.00	क्रमांक-04 से 11 तक कई वर्षों से बन्दोवस्ती नहीं हो रही है।
5	निरीक्षण गृह, ककोरिया	500.00	500.00	
6	निरीक्षण गृह, सिमुलतल्ला	500.00	500.00	
7	झाझा, सिमुलतल्ला टेलवा पथ	1000.00	500.00	
8	निरीक्षण गृह, चकाई	500.00	500.00	
9	सिमुलतल्ला चकाई पथ से विराजपुर	1000.00	500.00	
10	कर्णगढ़ वामदह पथ	1000.00	500.00	
11	निरीक्षण गृह, बटिया	1300.00	500.00	


 उप विकास आयुक्त-सह-
 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
 जिला परिषद, जमुई।

कार्यालय जिला परिषद, जमुई।
आम बन्दोवस्ती सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है, कि जिला परिषद, जमुई के अधीन फाटकों (अड़गड़ा) की बंदोवस्ती वित्तीय वर्ष 2019-2020 के नौ माह (01.07.2019 से 31.03.2020 तक) के लिए दिनांक- 20.06.2019 को 12:00 बजे पूर्वा० में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष (डी०आर०डी०ए० भवन) जमुई में किया जायेगा। डाक बोलने वाले व्यक्तियों को डाक निर्धारित तिथि के पूर्व मो०-500.00 (पाँच सौ) रू० जमानत स्वरूप नजारत शाखा में नगद जमा करना होगा। तभी वे डाक में भाग ले सकते हैं। डाक समाप्ति के पश्चात् सफल व्यक्तियों को डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुस्त जमा करना होगा, तथा बन्दोवस्ती का तीन (3%) प्रतिशत मुद्रांक शुल्क के रूप में स्टाम्प पेपर भी जिला परिषद, नजार शाखा, जमुई में जमा करना होगा। सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करने पर डाकधारी द्वारा जमा की गई राशि के साथ जमानत की राशि सहित जब्त कर ली जायेगी। शेष व्यक्तियों को जमानत की राशि डाक समाप्ति के पश्चात् वापस किया जायेगा। बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को किसी भी डाक अथवा सभी डाक को रद्द करने का अधिकार होगा।

बंदोवस्तदार को निर्धारित मवेशी शुल्क लेना होगा, तथा जो मवेशी फाटक में बंद होगा उसे भरपेट चारा पानी देना होगा। फाटकों की सूची एवं सुरक्षित राशि संलग्न है। सुरक्षित राशि से कम राशि पर बंदोवस्ती स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश डाक नहीं होने पर डाक की अगली तिथि दिनांक-22.06.2019 को 12:00 बजे पूर्वा में होगी। पुनः इस तिथि में डाक नहीं होने पर दिनांक- 24.06.2019 को पूर्वा 12:00 बजे डाक की कार्रवाई की जाएगी। विशेष जानकारी के लिये जिला परिषद, कार्यालय, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है।


अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

६०/

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जमुई।

ज्ञापांक :- 34 / जि०प०, दिनांक- 04-6-2019 /


प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, जिला परिषद, जमुई / संबंधित पदाधिकारी एवं सदस्य जिला परिषद, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जमुई।

कार्यालय जिला परिषद, जमुई।

जिला परिषद, जमुई के अधीन फाटक (अड़गाड़ा) की बन्दोवस्ती वर्ष 2019-2020 के लिए सूची,
सुरक्षित एवं जमानत की राशि :-

क्र०	फाटक (अड़गाड़ा) का नाम	वर्ष 2019-2020 के शेष अवधि हेतु सुरक्षित जमा राशि।	वर्ष 2019-2020 के लिए जमानत की राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	जमुई	2000.00	500.00	
2	सिकन्दरा	15000.00	500.00	
3	अडसार	6802.00	500.00	
4	गड़ही	6487.00	500.00	
5	ढण्ड	1912.00	500.00	
6	पाड़ो	1162.00	500.00	
7	झाझा	2287.00	500.00	
8	चकाई	5700.00	500.00	
9	सिमुलतल्ला	2000.00	500.00	
10	रजौन	2000.00	500.00	
11	महादेव सिमरिया	2500.00	500.00	
12	फतेहपुर	1092.00	500.00	
13	रामडीह	1750.00	500.00	
14	दुलमपुर	11000.00	500.00	
15	चरकापत्थर	500.00	500.00	क्रमांक-13 से 19 तक कई वर्षों से बन्दोवस्ती नहीं हो रही है।
16	अलीगंज	500.00	500.00	
17	वानपुर	500.00	500.00	
18	मलयपुर	500.00	500.00	
19	सोनो	500.00	500.00	


 उप विकास आयुक्ता सह-
 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
 जिला परिषद, जमुई।